राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2898/2023

श्रीमती किरण वैरागी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. डी.ई.ओ. जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस, सलूम्बर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.10.2023

आदेश की दिनांक : 13.10.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक एल 2 हिंदी के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भागल डगार, पंचायत समिति सलूम्बर, ब्लॉक व जिला सलूम्बर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.09.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण माण्डेसर, जिला चित्तौडगढ़ कर दिया गया और उक्त आदेश की पालना में 09.10.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी का कथन है कि विज्ञप्ति दिनांक 02.07.2020 के द्वारा कस्तूरबा गांधी विद्यालयों व छात्रावासों में पदस्थापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी को लगाने हेतु जारी की गई, जिसके आधार पर अपीलार्थी ने 08.07.2023 को ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें

उसने बडीसादडी, चित्तौडगढ़ व डूंगला, चित्तौडगढ़ में प्रतिनियुक्ति हेतु अपना विकल्प पत्र दिया। विभाग द्वारा विकल्प को अनदेखा करते हुए अपीलार्थी को चुनौती आदेश दिनांक 15.09.2023 के द्वारा प्रतिनियुक्ति पर माण्डेसर, जिला चित्तौडगढ़ में पदस्थापित कर दिया गया, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा विकल्प पत्र में भरे गए रिक्त पद स्थान पर पदस्थापित न करते हुए अन्यत्र स्थान पर पदस्थापित कर दिया, जो नीति एवं निर्देशों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी को विकल्प पत्र में दर्शाए गए रिक्त पदों में से किसी एक रिक्त पद पर पदस्थापित किया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वर्तमान में अध्यापक एल 2 हिंदी के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भागल डगार, पंचायत समिति सलूम्बर, ब्लॉक व जिला सलूम्बर में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी द्वारा विकल्प पत्र में दर्शाए गए पदस्थापन स्थान पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पदस्थापित नहीं किए जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 02.07.2020 के अवलोकन से प्रकट होता है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों में अध्यापिकाओं/वार्डन के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई, जिसके अनुसार अपीलार्थी ने दिनांक 08.07.2023 को विकल्प पत्र में पदस्थापन स्थान भरते हुए प्रत्यर्थी विभाग को विकल्प पत्र प्रस्तुत किया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी ने जो विकल्प पत्र में पदस्थापन स्थान दर्शाए उनमें से पदस्थापित न करते हुए अन्यत्र पदस्थापित अपीलार्थी को किया गया है, जो हमारे मत में उचित प्रकट नहीं होता है, ऐसी स्थिति में प्रकरण के वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर विभाग द्वारा अपीलार्थी द्वारा दिए गए विकल्प वाले स्थान पर पद रिक्त होने की स्थिति में दो सप्ताह की अवधि में पदस्थापन आदेश पारित करें, जिसकी सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। विभाग द्वारा अपीलार्थी के सम्बन्ध में नए पदस्थापन आदेश जारी करने तक आलोच्य आदेश दिनांक 15.09.2023

(अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 09.10.2023 (अनुलग्नक–2) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य